तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी /टीए/5400/2012/जयपुर** **बाबूलाल बनाम पूरणमल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.6.12	एकलपीठ श्री बी.एल.गुप्ता, सदस्य उपस्थित श्री धमेन्द्र सिंह टांक, अभिभाषक प्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, चौमूं जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–12 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है । प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी पूरणमल ने उपखण्ड अधिकारी, चौंमू के समक्ष वादग्रस्त आराजी से संबंधित एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 का प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया । इसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया । उपखण्ड अधिकारी, चौंमूं ने केवियटकर्ता को सुने बगैर अप्रार्थी सं01/वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर विवादित आराजी से संबंधित प्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 12–6–12 को आदेश पारित कर मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के उक्त निर्णय दिनांक 12–6–12 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । हमने प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी । प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उसके द्वारा दिनांक 3–5–12 को केवियट अन्तर्गत धारा 148–ए जाप्ता दीवानी के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे केवियटकर्ता को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ही स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कोई निर्णय पारित करते । इस प्रकार केवियट दायर होने के बावजूद भी बगैर सुनवाई का अवसर दिए प्रार्थी के विरूद्व एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है । उनका तर्क है कि धारा 148–ए जाप्ता दीवानी का प्रार्थना–पत्र आदेशात्मक है जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है । अपने तर्क के समर्थन में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी /टीए/5400/2012/जयपुर** **बाबूलाल बनाम पूरणमल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2005 आर.आर.डी.(2) पृष्ठ 881, 1993 आर.आर.डी. पृष्ठ 598 की नजीर प्रस्तुत की ।

हमने प्रार्थी के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया एवं उक्त प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12–6–12 को एकतरफा आदेश पारित करने से पूर्व केवियटकर्ता प्रार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जो अन्तर्गत धारा 148–ए जाप्ता दीवानी के तहत किया जाना आवश्यक था । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–12 निरस्त किए जाने योग्य है ।

परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, चौमूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–12 निरस्त किया जाता है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे पक्षकारान को सुनकर एक माह में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

आदेश की सूचना प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता को दी जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार भिजवायी जावे ।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर, बाद आवश्यक कार्यवाही, अभिलेखागार में भेजी जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.गुप्ता)
सदस्य